प्रेस विज्ञप्ति
19.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 10.02.2025 को मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य के मामले में 15 आरोपियों यानी मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड, निमेश शाह, पंकज जोबालिया और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 14.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड (एमएफआईएसएल) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमएफआईएसएल द्वारा बैंक धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसमें बही (बुक्स) में हेराफेरी और स्टॉक को बढ़ाने के आरोप थे, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को 464.41 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला है कि एमएफआईएसएल, इसके निदेशकों और संबंधित/संबद्ध संस्थाओं ने जाली वित्तीय विवरण तैयार करके बैंकों से ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग किया। एमएफआईएसएल अपने संबंधित/सहयोगी संस्थाओं के साथ बिना किसी वास्तविक माल हस्तांतरण के सर्कुलर लेनदेन में शामिल था, जिससे उसके खातों की पुस्तकों में वैध व्यापार लेनदेन का दिखावा किया गया और इस तरह स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी की गई। बाद में संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम राशि की आड़ में बैंक के फंड को निकाल लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि इस बैंक धोखाधड़ी में शामिल मुख्य व्यक्ति हितेश जोबालिया (एमएफआईएसएल के एमडी और प्रमोटर) की मृत्यु हो चुकी है।

इससे पहले ईडी ने सितंबर/अक्टूबर 2023 और 04.04.2024 के दौरान इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए थे, जिसके परिणामस्वरूप अपराध से प्राप्त 10.50 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जब्त/फ्रीज की गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।